

## प्रपत्र-42

परियोजना का नाम:-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ ( 3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

- |                                |    |                |
|--------------------------------|----|----------------|
| 1. ईको-क्लास श्रेणी            | :— | .....V.....    |
| 2. हरियाली का घनत्व            | :— | 0.2 से 0.3 ०/० |
| 3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०   | :— | 939000.00 रु०  |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल | :— | 0.810 हे०      |
| 5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि | :— | 760590.00 रु०  |

वन क्षेत्र अधिकारी  
बूम रेंज (सूखीढाँग)  
चम्पावत वन प्रभाग

प्रमाणित वनाधिकारी  
ह०/-  
प्रमाणित वन प्रभाग चम्पावत।  
प्रमाणित वनाधिकारी

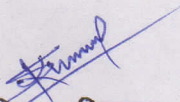
## प्रपत्र-43

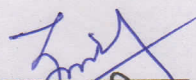
परियोजना का नाम:-

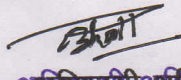
जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ ( 3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

### एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिंचाई खण्ड चम्पावत

  
सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०  
चम्पावत।

  
अभिजातीय अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०  
चम्पावत

## एन0पी0वी0 एवं ईको क्लास प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी0- 31से सिलाड़ ( 3.150किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 0.810 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा चयनित स्थल पर वृक्ष विद्यमान हैं (वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है) तथा उक्त चयनित स्थल पर हरियाली का घनत्व 0.30 है। अतः यह क्षेत्र ईको स्लास-IV सघन वन के अन्तर्गत आता है।

उक्तानुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 939000.00 प्रति हे0 की दर से रू0 760590.00 निर्धारित की जाती है।

*[Signature]*  
JE

*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लो0  
चम्पावत

*[Signature]*  
अभिशासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0  
चम्पावत

*[Signature]*  
वन क्षेत्र अधिकारी  
बूम रेंज (सूखीढाँग)  
चम्पावत वन प्रभाग

*[Signature]*  
प्रमाणीय वनाधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

## एन०पी०वी० की वचनवद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ ( 3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी/सिचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० चम्पावत/ग्राम्य विकास (विभाग) अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

*[Signature]*  
36

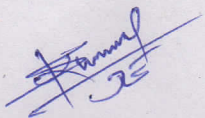
*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
सिचाई खण्ड, लो०नि०वि०  
चम्पावत।

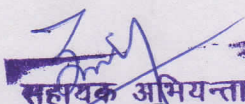
*[Signature]*  
ह०/५  
अधिशाली अभियन्ता  
सिचाई खण्ड लो०नि०वि०  
चम्पावत

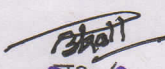
## एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी0- 31से सिलाड़ ( 3.150किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 760590.00 वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी/सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 चम्पावत/ग्राम्य विकास (विभाग) द्वारा जमा करा दी जायेगी।



  
सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0

  
अधिसासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0  
चम्पावत